पत्रांक–15/डी 1–10/11—1222

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

के०सेंथिल कुमार,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,

राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

महत्वपूर्ण

पटना, दिनांकः– 26/6/15

विषयः–प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के फर्जी हस्ताक्षर से निर्गत पत्र को अवैध/फर्जी घोषित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों के साथ विश्वविद्यालयों के बजट की समीक्षा के दौरान कुछेक विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों द्वारा प्रधान, सचिव,शिक्षा विभाग के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक 188 दिनांक–09.05.2015 की छाया–प्रति उपलब्ध कराते हुए उसके निर्गन के संबंध में जानकारी की मांग की गयी। इसी क्रम में विभागीय अभिलेखों से इस पत्र के निर्गत होने की जानकारी प्राप्त करने के दौरान यह तथ्य उभर कर आया है कि प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, के तथाकथित हस्ताक्षर से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को संबांधित पत्रांक 188 दिनांक 09.05.2015 जिसके द्वारा राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अनुकम्पा पर नियुक्ति सहित सभी तृतीय वर्गीय लिपिक को 01.04.97 से 4000–6000 का वेतनमान स्वीकृत किया गया है, वह बिल्कुल फर्जी एवं अवैध है। उक्त पत्र को विभागीय स्तर से निर्गत नहीं समझा जाए।

अतः यह निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र में वर्णित तथ्यों/निदेशों के आलोक में की गई कोई भी कार्रवाई अवैध होगी तथा उसको विभागीय स्तर से कोई मान्यता नहीं होगी। इस आशय से अपने सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को निदेशित किया जाए।

विश्वासभाजन,

26/6

(के०सेंथिल कुमार)

सरकार के अपर सचिव

26/6